



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.एम.डी.सी. - सी.एम.डी.सी. रायपुर द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमंडल के बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना डिपाजिट-4 में लौह अयस्क उत्खनन हेतु रकबा 682.2722 हे. (वन भूमि 670.1770 हे. एवं राजस्व वन भूमि 12.0952) वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर इस शर्त पर अभिमत दिया गया है कि "खनन क्षेत्र में गली-नाला में स्थित ट्री-फर्न को खनन कृत्य से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना होगी। अतः विद्यमान ट्री-फर्न क्षेत्र से कितनी दूरी पर खनन एवं आधारभूत संरचना हेतु स्थल प्रस्तावित किया जाना चाहिए का, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के विशेषज्ञों के दल से अध्ययन कराया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

इसके अतिरिक्त व्यपवर्तन प्रस्ताव में कक्ष क्रमांक 1826 एवं 1827 में आधारभूत संरचनाओं के तहत कन्वेयर बेल्ट निर्माण उक्त कक्ष में स्थित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र में प्रस्तावित है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र में कन्वेयर हेतु प्रभावित भूमि के बदले पृथक से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त किया जाना उचित होगा।"

मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर के उपरोक्त सशर्त अनुशंसा से सहमत होते हुए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा 682.2722 हे. (वन भूमि 670.1770 हे. एवं राजस्व वन भूमि 12.0952) वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 11/08/2023

स्थान: नवा रायपुर

(व्ही. श्रीनिवास राव)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर- 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-305/ 1924
प्रति,

रायपुर, दिनांक 14/08/2023

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- Diversion of 682.2722 Ha. Forest land for diversion for Bailadila Iron Ore Mine, Deposit-4, Dantewada Forest Division – Identification and allotment of degraded forest Land for raising Compensatory afforestation for the forest land being diverted.

पंजीयन क्रमांक:- FP/CG/ MIN/146694/ 2021

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ न क्र./151/ 2023/ 1489 दिनांक 20.06.2023 एवं पत्र 1883 दिनांक 03.08.2023

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.एम.डी.सी.-सी.एम.डी.सी. रायपुर द्वारा बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना डिपाजिट-4 में रकबा 682.2722 हे. (वन भूमि 670.1770 हे.+ राजस्व वन भूमि 12.0952 हे.) वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन लौह अयस्क उत्खनन के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1 से 6) – आवेदनकर्ता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. रायपुर द्वारा दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमंडल के बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना डिपाजिट-4 में लौह अयस्क उत्खनन हेतु रकबा 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म A भाग 1 तथा आफलाईन विवरण देते हुए मांग रखी गई है। आवेदित वन एवं राजस्व वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

वन भूमि	राजस्व वन भूमि	योग रकबा
670.1770	12.0952	682.2722

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 7 से 11) – वनमंडलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/ MIN/146694/ 2021 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि कार्यालयीन पत्र दिनांक 13.06.2022 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क 1,15,000/- जमा कराये गये हैं।

- बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 12-15) – व्यपवर्तन हेतु आवेदित 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि का विवरण दर्शित है जो आवेदक संस्थान तथा वन मंडलाधिकारी दंतेवाड़ा वन मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है।
- बि.क्र. 4. गैर वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 16 से 17) – प्रस्तावित परियोजना में 10.3706 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है, गैर वन भूमि का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।
- बि.क्र. 5. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 18 से 20) – 682.2722 हे. आ रही है जिसे सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट क्रमांक E44J1, E44J2, E44J5, E44J6, 1:50000 स्केल पर दिखाया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी दंतेवाड़ा द्वारा हस्ताक्षरित है।
- बि.क्र. 6. वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 21 से 23) – वन क्षेत्र का इण्डेक्स मैप संलग्न है।
- बि.क्र. 7. प्रपत्र –4 में (प्रस्ताव पृष्ठ 24 से 34) – प्रपत्र- 4 में परियोजना की अनुमानित लागत लगभग रु. 4091.33 करोड़ है। वनमंडलाधिकारी दंतेवाड़ा ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया गया है कि दूसरे सभी विकल्पो का परीक्षण कर लिया गया है और आवेदित वन भूमि न्यूनतम है। वन भूमि का घनत्व 0.2 से 0.6 है।
- बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 35 से 37) – प्रस्ताव में संलग्न है।
- बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 38-39) – आवेदित वन क्षेत्र के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 10. न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 40 से 47) – एन.एम.डी.सी.-सी.एम.डी.सी. लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप –04 रकबा 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के लिए अन्य सभी विकल्पों का पता लगा लिया गया और प्रस्तावित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है, इस आशय का वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।
- बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 48 से 80) – प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक IA J – 11015 / 104 / 2021 –IA-II (NCM) दिनांक 21.02.2022 से दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप –04 रकबा 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के लिए टी.ओ. आर. जारी किया गया है। पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र जमा करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है।
- बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 81 से 85) – आवेदित वन भूमि रकबा 682.2722 हे. वन क्षेत्र में 3,40,332 नग विभिन्न प्रजातियों के खड़े वृक्षों की गणना ग्रिड सेम्पल प्लॉट के आधार पर किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र में खड़े वृक्षों की 100 प्रतिशत गणना द्वितीय चरण की स्वीकृति पश्चात विदोहन योजना तैयार करने के पूर्व किया जावेगा।

बि.क्र. 13. कास्ट / बेलिफिट ऐनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 86 से 91) – कास्ट बेनिफिट ऐनालिसिस संलग्न है। कास्ट बेनिफिट रेशियो 1:163 है। विस्तृत गणना पत्रक प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 14. चयनित गैर वनक्षेत्र / निजी भूमि (पंचशाला खसरा कि नकल मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 92 से 93) – दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप –04 रकबा 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन भूमि मरवाही वन मंडल में 530.302 हे., एवं जांजगीर-चांपा वन मंडल में 846.296 कुल 1376.598 हे. का 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन मय उपचार मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 15. गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 94 से 95) – प्रस्तावित परियोजना आरक्षित वन, संरक्षित वन क्षेत्र एवं नारंगी वन क्षेत्र (आरेंज एरिया) में प्रस्तावित होने के कारण गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा की आवश्यकता नहीं है, तदाशय का वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान एन.एम.डी.सी. एवं सी.एम. डी.सी. का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 96 से 97) – बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना डिपॉजिट-4 में रकबा 682.2722 हे. (वन भूमि 670.1770 हे.+ राजस्व वन भूमि 12.0952 हे.) वनभूमि एवं राजस्व वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन भूमि मरवाही वन मंडल में 530.302 हे., एवं जांजगीर-चांपा वन मंडल में 846.296 कुल 1376.598 हे. का 10 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1601 से 1634) – आवेदक एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटे रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप –04 हेतु रकबा 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के बदले दुगुने रेबा 1364.5444 हे. भूमि हेतु स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र हेतु जांजगीर-चांपा एवं मरवाही वन मंडल द्वारा अनुमोदित वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 1635 से 1636) – एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटे रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप –04 हेतु रकबा 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि में कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है एवं उक्त प्रकरण में किसी भी अधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 1637 से 1638) – अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी का निर्धारण नहीं किया गया है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 1639 से 1640)–
अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं किया गया है।
तदाशय का वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1641 से 1646) – प्रस्तावित लौह अयस्क उत्खनन परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन का पत्र दिनांक 02.08.2023 से जारी गैर वन भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 1647 से 1648) – दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप –04 रकबा 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव में कैचमेंट-ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 1649 से 1658) – दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वन मंडल अंतर्गत बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप-4 हेतु आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित रिक्लेमेशन प्लान का पत्रक प्रस्ताव में तैयार कर संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IVM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 1659 से 1736)– बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप-4 हेतु खनन योजना (MINING PLAN) का अनुमोदन भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक दंतेवा/लौह/खयो-1292-रायपुर दिनांक 24.09.2021 द्वारा प्रदान किया गया है, माईनिंग प्लान की अनुमोदित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 1735 से 1738) – आवेदक संस्थान एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप-4 हेतु निर्धारित प्रपत्र में पृथक से जानकारी प्रेषित की जावेगी (as per LARRA Act, 2013)।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 1739 से 1745) – वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 30.05.2023 तथा इसके आधार पर भरा गया भाग-2 संलग्न है। वनो का घनत्व 0.2 से 0.6 बताया गया है। मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त द्वारा वन मंडलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर स्थल निरीक्षण दिनांक 20.06.2023 से प्रस्तावित व्यपवर्तन प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण –पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1748 से 1749) – दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत बैलाडीला लौह अयस्क खनन परियोजना निक्षेप –04 रकबा 682.2722 हे. वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक / पुरातात्विक महत्व के स्थल नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1750 से 1839) – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव हेतु चयनित वनभूमि के समीप स्थित ग्राम पंचायत, भांसी, बड़े कमेली एवं पोरो कमेली ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 1840 से 1841) – प्रस्ताव में जिले की कुल वनभूमि 12425.05 हे. का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 30. – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले की स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 1842 से 1843) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 स्वीकृत 24 प्रकरणों में कुल 3217.640 हे. वन भूमि प्रभावित है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 31. – 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 1844 से 1845) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल 8 प्रकरणों के लिए प्रत्यावर्तन वनभूमि 3043.587 हे. दर्शित है।

बि.क्र. 32 प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी प्रस्ताव पृष्ठ 1846 से 1847) – एन.एम.डी.सी – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ को दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप-04 हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित भी नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शों में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन (केवल खनन प्रकरण में प्रस्ताव पृष्ठ 1848 से 1850) – 15 कि.मी. परिधि के नक्शों में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन कर मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 1851 से 1855) – एन.एम.डी.सी – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ को दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप-04 हेतु वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रचलन में है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 26.02.2019 के द्वारा गाईड लाईन अनुसार प्रथम चरण स्वीकृति के पश्चात प्रस्तुत किया जायेगा।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1856 से 1871) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित राजस्व वन भूमि रकबा 12.0952 हे. जिसमें से कलेक्टर दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा द्वारा दिनांक 21.07.2023 से 11.292 हे.का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गा है जो प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 1872 से 1874) – प्रस्तावित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रायपुर जो भी प्रत्याशा शुल्क निर्धारित करेगा, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने के लिए आवेदक संस्थान एन.एम.डी.सी.-सी.एम.डी.सी. लिमिटेड, रायपुर छत्तीसगढ़ वचनबद्ध है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act,1980 Deposition of funds with the AD-hoc CAMPA : Remittances of precede 2 nd stage Clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 1875 से 1876)– आवेदित वन भूमि रकबा 682.2722 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव से संबंधित भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा जो भी राशि निर्धारित की जाती है वह राशि कैम्पा निधि में तत्काल जमा करने हेतु आवेदक संस्थान एन.एम.डी.सी.-सी.एम.डी.सी. का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on soil productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 1877 से 1892) – आवेदित वन भूमि बचेली परिक्षेत्र के अंतर्गत कक्ष क्रमांक 1822, 1824, 1825, 1826, 1834, 1811, 1832, 1833, 1886, 1885, 1842 एवं 1841 में बचेली लौह अयस्क खान, निक्षेप 04 में लौह अयस्क उत्खनन हेतु 670.17 हे. वन क्षेत्र में खनन पट्टा तथा निक्षेप 04 के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना हेतु बचेली वन परिक्षेत्र के राजस्व वन भूमि रकबा 12.0952 हे. कुल 682.2722 हे0 वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। आवेदित क्षेत्र में मिट्टी की गहराई अत्यधिक कम तथा भूमि की वर्तमान दशा कंकरीली, सैंडी लोक तथा प्रायः वनस्पति रहित है। भूमि की ऐसी दशा प्राकृतिक (Geo-Logical) कारणों से है। मृदा की जांच के उपरांत प्राप्त परिणामों का विस्तृत प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1893 से 1894) – एन.एम.डी.सी – सी.एम.डी.सी. लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ को दंतेवाड़ा जिले के बड़े बचेली तहसील अंतर्गत आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप-04 हेतु आवेदित क्षेत्र रकबा 682.2722 हे. में किसी भी प्रकार की भूमि में किसी भी प्रकार की खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। व्यपवर्तन के पश्चात ही प्रस्तावित भूमि पर खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा। आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 40. Division of large area (more then 500 ha)of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (conservation)Act 1980 Stipulation of additipna condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) (प्रस्ताव पृष्ठ 1895 से 1897) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा 682.2722 हे. वन भूमि आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04 हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव जो 500.00 हे. से अधिक क्षेत्र में स्थित है, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आवेदक संस्थान द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने करने तथा संचालित करने हेतु आवेदक संस्थान एन.एम.डी.सी.-सी.एम.डी.सी. रायपुर का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 41. पंजयीन क्रमांक (1898 से 1902) – चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक – 2 में विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ -1903 से 1905) – आवेदक एन.एम.डी.सी.-सी.एम.डी.सी. लिमिटेड, रायपुर के प्रतिवेदन अनुसार व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा 682.2722 हे. वन भूमि आरक्षित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04 हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव के प्रथम चरण स्वीकृति के बाद वन्यप्राणी परियोजना तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत सहित वन्यप्राणी प्रबंधन परियोजना प्रस्तुत किया जावेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा ग्रीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ -1906 से 1907)– प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण जानकारी निरंक है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव में अन्य (Misc) जानकारी का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 1908 से 1909) – निरंक है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों / दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर द्वारा विषयांकित प्रकरण की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए तथा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा उपरांत प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 02 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

- संलग्न:-
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
 2. डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रस्तावित क्षेत्र का रिपोर्ट 2 प्रतियों में
 3. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 2 प्रतियों में
 4. टाईम लाईन
 5. माईनिंग प्लान प्रस्ताव (प्रस्ताव के साथ संलग्न है)
 6. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग-4

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-305/ 1926
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 14/08/2023

1. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा वन मंडल, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एन.एम.डी.सी. – सी.एम.डी.सी., ग्रीन वेली सिटी, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, बोरियाकला, सेजबहार, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़